शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-१०४/2016/2812/52-1-2016-9(एम0एस0डी0पी0)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016

विषय - 12 वीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद हापुड़ में स्वीकृत 04 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, सिखेडा, चमरी, डहाना एवं पलवारा तथा 02 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, डहाना एवं पलवारा के भवन निर्माण के लिए केन्द्रांश की अवशेष **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(6)/2012-पी0पी0, दिनांक 21.11.2012 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-1317/52-1-2013-9(एम0एस0डी0पी0)/2013, दिनांक 31 मार्च,2013 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिससे उक्त योजनाओं के लिए **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(6)/2012-पी0पी0, दिनांक 22.09.2015 से जनपद हापुड़ की उक्त योजनाओं के लिए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 76.50 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश की अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 38.25 लाख (रू0 अडतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 06.75 लाख (रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 45.00 लाख (रू0 पैतालिस लाख मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख तथा अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष उपलब्ध बजट रू0 1642.03 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

Unic Code PHSC G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित **द्वितीय किश्त**		कुल प्रस्तावित धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हापुड	राजकीय होम्योपैथिक, चिकित्सालय, सिखेडा, चमरी, डहाना एवं पलवारा का भवन निर्माण	04	15.00	51.00	9.00	30.00	25.50	4.50	30.00
2	,,	आयुर्वेदिक चिकित्सालय, डहाना एवं सिम्भावली का भवन निर्माण	02	15.00	25.50	4.50	15.00	12.75	2.25	15.00
		योग	**06**		**76.50**	**13.50**	**45.00**	**38.25**	**6.75**	**45.00**

3- उक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एवं उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इस सक्षम स्तर की सवीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से कार्यदायी संस्था **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** के निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 03 माह में अनुमोदित लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। प्रश्नगत राजकीय होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं क्षेत्रफल के अनुसार गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर टेकिंग) भी हस्तान्तरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी

http://sirsanadesh.up.nic.in

गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- अवमुक्त धनराशि के उपयोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-2 प्रतियों में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमात्र-पत्र एवं उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

9- राजकीय होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सालय केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उनके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

10- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही द्वारा मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त् धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली नियमानुसार निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा की जायेगी।

11- राजकीय होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सालय केन्द्र के भवन निर्माण पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी निर्मित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

12- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा

4- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

http://sharanadesh.up.nic.in

पुरोनिधानित योजनायें- 0106-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण (के0 85-रा0 15)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है, जिसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-2812(1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत केन्द्रों के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6- निदेशक, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत केन्द्रों का समयान्तर्गत, मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्माण पूर्ण कराने का कष्ट करें।
7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हापुड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्मित होने वाले राजकीय होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
10- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि आहरित नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
11- वित्त-ई-11 ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।

13- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज उत्तर प्रदेश को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

14- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in